न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
26 / 2022	2022 / 95	07.04.2022	30.05.2022

उनवान प्रकरण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर(राज0)

——प्रार्थी

बनाम्

1. मदन पुत्र सुरजमल
2. रामेश्वर पुत्र सुरजमल
3. सत्यनारायण पुत्र मुरली
4. बजरंग लाल शर्मा पुत्र देवीसहाय

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम लिसाड़िया, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

5. गोपाल सिंह पुत्र लड्डूराम
6. लड्डूराम पुत्र सुरजाराम

समस्त जाति अहीर निवासीगण ग्राम राजीव नगर, विधाधर नगर, जयपुर जिला जयपुर (राज0)

7. विकास गोयल पुत्र महेन्द्र गोयल जाति महाजन निवासी मूण्डरू, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.07 12:30:53 IST
Reason: SelfAttested

30/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

8. सुल्तानराम पुत्र घीसाराम जाति अहीर निवासी अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

अप्रार्थीगण

उपस्थित:–

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रार्थी की ओर से।
श्री दिनेश कुमार सिंह शेखावत, एड0 अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से।
श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 अप्रार्थी संख्या 4 से 8 की ओर से।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1231 रकबा 0.63 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर की खातेदारी मदन, रामेश्वर पुत्रगण सुरजमल हिस्सा 1/2 व सत्यनारायण पुत्र मुरली हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण निवासी लिसाड़िया तथा खसरा नम्बर 1945/1366 रकबा 2.17 हैक्टर की खातेदारी गोपाल सिंह पुत्र लड्डूराम हिस्सा 151/620 व लड्डूराम पुत्र सुरजाराम हिस्सा 3221/10850 जाति अहीर निवासी राजीव नगर विधाधर नगर जयपुर, बजरंगलाल पुत्र देवीसहाय हिस्सा 151/620 जाति ब्राह्मण निवासी लिसाड़िया, विकास गोयल पुत्र महेन्द्र गोयल, जाति महाजन निवासी मूण्डरू तथा सुल्तानराम पुत्र घीसाराम हिस्सा 16/62 जाति अहीर निवासी अरनियां के नाम दर्ज रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1231 रकबा 0.63 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर की खातेदारी मदन, रामेश्वर पुत्रगण सुरजमल हिस्सा 1/2 व सत्यनारायण पुत्र मुरली हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण निवासी लिसाड़िया तथा खसरा नम्बर 1945/1366 रकबा 2.17 हैक्टर की खातेदारी गोपाल सिंह पुत्र लड्डूराम हिस्सा 151/620 व लड्डूराम पुत्र सुरजाराम हिस्सा 3221/10850 जाति अहीर निवासी राजीव नगर विधाधर नगर जयपुर, बजरंगलाल पुत्र देवीसहाय हिस्सा 151/620 जाति ब्राह्मण निवासी लिसाड़िया, विकास गोयल पुत्र महेन्द्र गोयल, जाति महाजन निवासी मूण्डरू तथा सुल्तानराम पुत्र घीसाराम हिस्सा 16/62 जाति अहीर निवासी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.07 12:30:53 IST
Reason: Self attested

30/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अरनियां ने अवैध रूप से बिना संपरिवर्तन करवाये अवैध प्लांटिग काट कर आवासीय कॉलोनी का बैचान कर रहे है। उक्त कृषि भूमि का कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले रहे है। जिससे राजस्व हानि हुई है। उक्त व्यक्तियों प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त भूमियों को कृषि से अकृषि उपयोग लिये जाने पर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 अ सपठित धारा 91 के तहत प्रकरण में निर्णय दिनांक 31.03.2022 को पारित किया जाकर अवैध बैचान नहीं करने व बिना संपरिवर्तन कराये भूमि का उपयोग वाणिज्यिक व व्यावसायिक प्रयोजनार्थ न करने हेतु पाबन्द किया गया तथा अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियॉं कर उक्त कृषि भूमि का स्वरूप नष्ट कर दिया है। उक्त भूमि काश्त के लायक नहीं रही है। यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 के अन्तर्गत खातेदारों को मौके की यथास्थिति बनाये रखने व कृषि भूमि का बिना संपरिवर्तन कराये अकृषि प्रयोजन नहीं करने हेतु व मौके की यथास्थिति बनाये रखने तथा बिना सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि से अकृषि उपयोग हेतु पाबन्द करने के लिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर उक्त खातेदारान् की भूमि खसरा नम्बर 1231 रकबा 0.63 हैक्टर व खसरा नम्बर 1945/1366 रकबा 2.17 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.80 हैक्टर यानि 28000 वर्गमीटर से बेदखल किये जाने तथा खातेदारी निरस्त कर भूमि को राजकीय भूमि घोषित किये जाने का निवेदन प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में किया है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 3 की ओर से श्री दिनेश कुमार सिंह शेखावत एड0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया एंव अप्रार्थीगण नम्बर 4 लगायत 8 की ओर से श्री कमल कुमार शर्मा एड0 जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा एक शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि हम खातेदारान् के नाम दर्ज कृषि भूमियों को हमारे द्वारा कृषि भूमि के काम में ही लिया जा रहा है तथा उक्त खातेदारी भूमियों को बिना विधिक प्रक्रिया के कृषि भूमि से अकृषि कार्य में उपयोग नहीं लिया जावेगा तथा ना ही बिना सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि को अकृषि उपयोग या बैचान नहीं किया जायेगा। उक्त खातेदारी में दर्ज भूमियों का सम्परिवर्तन करवाने बाबत प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत आवेदन पत्र सक्षम अधिकारी उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के यहॉं प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है। जिसकी फोटो प्रति भी संलग्न पेश [illegible]

प्रकरण में वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 एंव 4 लगायत 8 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर दिये जाने से वकील अप्रार्थीगण ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.07 12:30:53 IST
Reason: SelfAttested

30/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

जाकर प्रकरण में निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने बहस सुनी जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की। प्रार्थी की सहमति के आधार पर एंव वकील अप्रार्थीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया जाना उचित समझता हूँ।

प्रकरण में बहस प्रार्थी व वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी की ओर से उपस्थित तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को बार-बार दोहराते हुए प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के द्वारा वादग्रस्त आराजी भूमियों का अवैध बैचान नहीं करने व बिना संपरिवर्तन कराये भूमि का उपयोग वाणिज्यिक व व्यावसायिक प्रयोजनार्थ न करने हेतु पाबन्द किये जाने तथा अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियॉ कर उक्त कृषि भूमि का स्वरूप नष्ट कर दिये जाने से उक्त भूमियॉ काश्त के लायक नहीं रहने बाबत अवगत कराते हुए यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत खातेदारों को मौके की यथास्थिति बनाये रखने व कृषि भूमि का बिना संपरिवर्तन कराये अकृषि प्रयोजन नहीं करने हेतु व मौके की यथास्थिति बनाये रखने तथा बिना सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि से अकृषि उपयोग हेतु पाबन्द करने का निवेदन प्रार्थी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी बहस में किया है। वही वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 ने दौराने बहस अवगत कराया कि अप्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के काबिज काश्त व खातेदारी की भूमि होने तथा अप्रार्थीगण उक्त भूमि का उपयोग उपभोग किसी अकृषि कार्य में नहीं कर रहे होने तथा खातेदारान् अपनी कृषि भूमि का मौके पर विकास करने के लिए एंव रहने के लिए पूर्णरूप से स्वंतत्र है। मौके पर इस भूमि को ना तो बेचे जाने एंव ना ही ऐसा कोई कार्य किया जा रहा है जो अकृषि की श्रेणी में आता हो। वकील प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किये जाने का निवेदन किया है। वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण संख्या 4 से 8 ने अवगत कराया कि वादग्रस्त आराजी भूमियों के अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड होने तथा सहखातेदारान् से आपस में विभाजन करवाकर अपने नाम अलग-अलग खातेदारी दर्ज करवाने के उपरान्त विधिक सक्षम अधिकारी से संपरिवर्तन कराने के उपरांत ही कॉलोनी काटने की कार्यवाही करवाने बाबत अवगत कराते हुए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किये जाने का निवेदन वकील अप्रार्थीगण ने किया है।

हमनें तहसीलदार श्रीमाधोपुर व वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहु पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी व वकुलाय उभय पक्षकारान् द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.07 12:30:53 IST
Reason: SelfAttested

30/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 रिकॉर्डेड सह खातेदार काश्तकार है। जिसका पक्षकारान् आपस में विभाजन करवाकर अपने नाम खातेदारी अलग–अलग दर्ज करवाने के अधिकारी होना प्रकट होता है। उक्त भूमियों को कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के यहॉ सम्परिवर्तन करवाये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया जाना स्पष्टतः प्रकट होता है। उक्त वादग्रस्त आराजी भूमियों पर अवैध प्लांटिग काटकर भूमि को अकृषि कार्य हेतु उपयोग में लिया जाना सिद्ध नहीं होता है। इस आधार पर भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत पोषणीय नहीं होने से इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 07.04.2022 को आगे नहीं बढ़ाया जाकर इसी स्तर पर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा जारी अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 07.04.2022 को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

30/05/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.07 12:30:53 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 30.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/05/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)